R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड X ◆ अंक 4
अक्टूबर 2013

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

शाखा प्राधिकरण नीति में रियायत

रिज़र्व बैंक ने 19 सितंबर 2013 को घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को अनुमति दी है कि वे रिपोर्टिंग के अधीन प्रत्येक मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति लेने की जरूरत के बिना टीयर 1 से टीयर 6 केंद्रों में अपनी शाखाएं खोलें। रिज़र्व बैंक ने इस संबंध में नीचे उल्लिखित रूप में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं:

नई शाखाएं खोलना तथा बैंकों की मौजूदा शाखाओं को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का कार्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। इन प्रावधानों के अनुसार बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना भारत में या भारत से बाहर कारोबार का नया स्थल नहीं खोल सकते हैं या उसी शहर, कस्बे या गांव के अंदर वर्तमान कारोबार स्थल बदल नहीं सकते हैं। अनुमति देने से पहले रिज़र्व बैंक बैंकिंग कंपनी की वित्तीय स्थिति और उसके इतिहास, इसके प्रबंधन के सामान्य स्वरूप, इसकी पूंजी संरचना की पर्याप्तता और अर्जन संभावनाओं के बारे में निरीक्षण द्वारा संतुष्ट होना चाहिए और शाखा खोलना या वर्तमान कारोबार स्थल में परिवर्तन करना जनहित में हो।

शाखा प्राधिकरण नीति के प्रयोजन हेतु, ''शाखा'' में सभी शाखाएं अर्थात् संपूर्ण शाखाएं, विशेष शाखाएं, सेटेलाइट कार्यालय, मोबाइल शाखाएं, विस्तार काउंटर, ऑफ साइट एटीएम (स्वचालित टेलर मशीन) प्रशासनिक कार्यालय, नियंत्रण कार्यालय, सेवा शाखाएं (बैक ऑफिस या संसाधान केंद्र) आदि शामिल होंगे।

शाखा प्राधिकरण नीति देश के सभी टीयरों (टीयर 1 से 6) में शाखा खोलने को शामिल करता है। टीयर 1 में महानगरीय और शहरी केंद्र हैं, टीयर 2, 3 और 4 में उप शहरी केंद्र हैं तथा टीयर 5 और 6 में ग्रामीण केंद्र हैं।

बैंकिंग का विस्तार और वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए बैंक सुविधा रहित केंद्रों में शाखाएं खोलने की आवश्यकता है। बैंक सुविधा रहित केंद्र वे केंद्र हैं जहां ग्राहक आधारित बैंकिंग लेनदेन के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की कोई पारंपरिक संरचना नहीं है। इसलिए वर्तमान शाखा प्राधिकरण नीति अधिदेशित करती है कि बैंकों को वर्ष में खोली जाने वाली कम-से-कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोलनी होंगी।

देशभर में टीयर 1 से टीयर 6 केंद्रों में घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शाखा खोलने के लिए उपलब्ध सामान्य अनुमति में विशेष शाखाएं, विस्तार काउंटर, सेटेलाइट कार्यालय, सेवा शाखाएं, केंद्रीय संसाधन केंद्र (सीपीसी) और बैंक के अन्य सभी कार्यालय/शाखाएं शामिल होंगे। इस प्रकार बैंकों को शाखाएं खोलने या किसी केंद्र में किसी अन्य कारोबार स्थल या प्रशासनिक कार्यालय के प्राधिकार के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।

बैंक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना बनाएं जिसे शाखा विस्तार की उनकी वार्षिक कार्यनीति के भाग के रूप में बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए। यह योजना बनाते समय वे विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखें जैसे कम लागत वाली शाखाएं स्थापित करना, भौतिक रूप से बैंक में आने को कम करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग और आभासी बैंकिंग सहित प्रौद्योगिकी का नवोन्मेष उपयोग, ग्राहक सेवा में सुधार आदि।

वित्तीय वर्ष के दौरान शाखाएं खोलने का कार्य नीचे दी गई शर्तों के अधीन होगा:

* वित्तीय वर्ष के दौरान खोली जाने वाली कुल शाखाओं में से कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं (नीचे पैरा 10 में बताए अनुसार प्रोत्साहन के माध्यम से टीयर 1 में शाखाओं के लिए दी गई हकदारी को छोड़कर) बैंक सुविधा रहित ग्रामीण (टीयर 5 और टीयर 6) केन्द्रों अर्थात उन

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
शाखा प्राधिकरण नीति में रियायत	1
बैंक दर	2
सीमांत स्थायी सुविधा	2
शाखा बैंकिंग	
उत्तराखण्ड आपदा में खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान	2
शहरी सहकारी बैंक	
वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंक	2
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया जाना	3
गैर जमानती एक्सपोज़र मानदंड	3
सममूल्य चेक सुविधा	3
फेमा	
प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार	3
भुगतान प्रणाली	
कार्ड निवेदित लेनदेन	3
मौद्रिक नीति 2013-14 की तिमाही के मध्य में समीक्षा	4
सूचना	
नई तत्काल सकल भुगतान प्रणाली की शुरूआत	4

केन्द्रों में खोली जाएंगी जहां ग्राहक आधारित लेनदेन के लिए किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की पारंपरिक संरचना नहीं है।

* वित्तीय वर्ष के दौरान टीयर 1 केन्द्रों में खोली गई कुल शाखाएं (प्रोत्साहन के माध्यम से टीयर 1 में शाखाओं के लिए दी गई हकदारी को छोड़कर) टीयर 2 से टीयर 6 केन्द्रों और पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में सभी केन्द्रों से अधिक नहीं हो सकती।

किसी भी केन्द्र में विस्तार काउंटर, सेटेलाइट कार्यालय, मोबाइल शाखाएं, केन्द्रीय संसाधन केन्द्र, सेवा शाखाएं और प्रशासनिक कार्यालय स्वतंत्र रूप से खोले जा सकते हैं और इनकी गणना ऊपर निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए नहीं की जाएगी।

बैंकों को बैंक सुविधा रहित राज्यों के बैंक सुविधा रहित जिलों में अधिक शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। तदनुसार, बैंक टीयर 1 केन्द्रों (उनकी निर्धारित पात्रता से अधिक) में बैंक सुविधा रहित राज्यों के बैंक सुविधा रहित जिलों के टीयर 2 से टीयर 6 केन्द्रों में खोली गई शाखाओं के बराबर शाखाएं खोल सकते हैं जिनमें बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केन्द्रों में खोली गई उन शाखाओं को छोड़ दिया जाए जो बैंक सुविधा रहित राज्यों के बैंक सुविधा रहित जिलों में अवस्थित हैं।

यदि बैंक टीयर 1 केन्द्रों के लिए पात्र शाखाएं खोलने में असमर्थ हो तो यह बाद के दो वर्षों के दौरान ये शाखाएं खोल सकता है। बैंक जो किसी कारणवश वित्तीय वर्ष के दौरान टीयर 2 से 6 या बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केन्द्रों (टीयर 5 से 6 केन्द्र) में शाखाएं खोलने के अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं, वे अगले वित्तीय वर्ष में आवश्यक रूप से इस कमी को दूर करें।

मई 2013 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपनी वित्तीय समावेशन योजना (एफआइपी-2013-16) के साथ-साथ अपने 3 वर्षीय चक्र के दौरान बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में प्रारंभ में ही (प्राथमिकता के आधार पर) शाखाएं खोलने पर विचार करें। वर्ष के दौरान खोली गई अपेक्षित कुल 25 प्रतिशत शाखाओं के आधिक्य में बैंक सुविधा रहित केन्द्रों में खोली गई शाखाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जिसे एफआईपी के बाद वाले वर्ष में मापदंडों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

बैंक अपने बोर्ड के समक्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान खोली गई शाखाओं की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुरूप शाखा खोलने के संबंध में अनुपालन की जांच बैंक के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण और वित्तीय समावेशन योजनाओं की चर्चा के दौरान की जाएगी।

बैंक दर

07 अक्तूबर 2013 से बैंक दर 9.5 प्रतिशत से 50 आधार अंक घटकर 9.0 प्रतिशत हो गयी है।

रिज़र्व अपेक्षा की पूर्ति में कमी होने पर सभी प्रकार की दंडात्मक ब्याज दरें भी, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं नीचे उल्लिखित रूप से संशोधित हो गयी हैं:

बैंक दर से जुड़ी हुई दंडात्मक ब्याज दरें

मद	मौजूदा दर	संशोधित दर (दिनांक 07 अक्तूबर 2013 से प्रभावी)
रिज़र्व अपेक्षा की पूर्ति में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज दरें (कमी की अवधि पर आधारित)।	बैंक दर तथा 3.0 प्रतिशत अंक (12.50 प्रतिशत) अथवा बैंक दर तथा 5.0 प्रतिशत अंक (14.50 प्रतिशत)।	बैंक दर तथा 3.0 प्रतिशत अंक (12.00 प्रतिशत) अथवा बैंक दर तथा 5.0 प्रतिशत अंक (14.00 प्रतिशत)।

सीमांत स्थायी सुविधा

7 अक्टूबर 2013 से सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर को 9.50 प्रतिशत से 50 आधार अंक घटा कर 9.00 प्रतिशत किया गया है ।

शाखा बैंकिंग

उत्तराखण्ड आपदा में खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान

भारतीय पंजीकरण कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 14 से 20 जून 2013 के बीच उत्तराखण्ड प्राकृतिक आपदा के कारण 16 अगस्त 2013 के अपने परिपत्र के अनुसार उत्तराखण्ड में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में खोए हुए व्यक्तियों के मृत्यु पंजीकरण के लिए एक प्रक्रिया तैयार की है। परिपत्र में जून 2013 में उत्तराखण्ड में आपदा स्थल के अपने दौरे के बाद से सूचना के अनुसार खोए हुए किसी व्यक्ति को 'मृत्यु प्रमाणपत्र' के पंजीकरण और उसे जारी करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार की गई है।

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे (i) मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार पदनामित अधिकारी द्वारा जारी 'मृत्यु प्रमाणपत्र' और (ii) क्षतिपूर्ति पत्र के अलावा और कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने का आग्रह किए बिना गृह मंत्रालय के परिपत्र में शामिल खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान करें।

शहरी सहकारी बैंक

वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंक

रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि निम्नलिखित मापदंड पूरा करने वाले प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को अब वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंक माना जाएगा:

(ए) सतत आधार पर न्यूनतम 10 प्रतिशत जोखिम भारित पूंजी अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखना।

(बी) सकल गैर-निष्पादनीय आस्तियां 7 प्रतिशत से कम और निवल आस्तियां 3 प्रतिशत से कम।

(सी) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सीआरआर/एसएलआर के अनुरक्षण में कोई चूक नहीं हो।

(डी) पिछले तीन वर्षों के लिए निरंतर निवल लाभ।

(ई) बोर्ड में कम से कम दो व्यावसायिक निदेशकों के साथ सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली।

(एफ) अन्य के साथ-साथ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू), भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/निदेशों के अनुपालन के अभिलेख पर आधारित विनियामक सुविधा।

अबसे नए मानदंडों के अनुसार शाखा प्राधिकरण, ऑनसाइट और ऑफसाइट एटीएम खोलने, परिचालन क्षेत्र के विस्तार, परिसरों के परिवर्तन और भारतीय रिज़र्व बैंक से अन्य अनुमति के लिए शहरी सहकारी बैंकों से संसाधन हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया जाना

अब यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल होने के लिए शहरी सहकारी बैंकों से प्राप्त आवदेनों पर विचार किया जाए। भारत सरकार ने 04 मई 2013 को अधिसूचित किया है कि 01 अप्रैल 2013 से केवल ऐसे शहरी सहकारी बैंक जिनके पास लाइसेंस है और जिनकी मांग और मीयादी देयताएं (डीटीएल) ₹ 750 करोड़ से कम नहीं हैं, उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ए) के उप-खंड (iii) में शामिल करने के प्रयोजन अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल करने प्रयोजन के लिए 'वित्तीय संस्था' माना जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल होने के लिए इच्छुक तथा निरीक्षण रिपोर्टों के अनुसार मूल्यांकित किए गए वित्तीय आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित वित्तीय मानदंडों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंक अपने आवेदन संगत दस्तावेजों के साथ शहरी बैंक विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें:

- लगातार एक वर्ष के लिए मीयादी और मांग देयताएं ₹ 750 करोड़ से कम नहीं हों;
- न्यूनतम 12% का सीआरएआर हो;
- गत तीन वर्षों में लगातार निवल लाभ प्राप्त किए हों;
- सकल अनर्जक आस्तियां 5% या उससे कम हों;
- सीआरआर/एसएलआर की अपेक्षाओं की पूर्ति की हो, तथा
- कोई गंभीर विनियामक और पर्यवेक्षी अनियमितताएं न हों ।

गैर ज़मानती एक्सपोज़र मानदंड

समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा मंजूर किए गए ₹ 10,000/- तक के गैर जमानती ऋण को पिछले वर्ष की 31 मार्च के लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार उनकी कुल परिसंपत्ति के 10% के गैर जमानती एक्सपोजर की सकल सीमा में निम्न शर्तों के अधीन छूट दी जाए:

(ए) मंजूर की गई अलग-अलग राशि ₹ 10,000 से अधिक न हो;

(बी) ऋण उत्पादक प्रयोजनों के लिए होना चाहिए और बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण निधि का अंतिम उपयोग हो;

(सी) बैंक का सीआरएआर 9 प्रतिशत तक हो; तथा

(डी) शहरी सहकारी बैंक का सकल एनपीए सकल अग्रिम के 10% से कम होना चाहिए।

इस प्रकार किसी शहरी सहकारी बैंक द्वारा दिया गया गैर जमानती ऋण कुल परिसंपत्तियों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।

उक्त मानदंडों को पूरा न करने वाले शहरी सहकारी बैंक वर्तमान दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित होंगे जिनमें गैर जमानती ऋण कुल मीयादी व मांग देयताओं और सीआरएआर के अनुपालन पर आधारित वैयक्तिक और समूह उधारकर्ता सीमा ₹ 25,000 से ₹ 5 लाख तक की सीमा (जमानत या जमानत के बिना या चेक खरीदी के लिए) में पिछले वित्तीय वर्ष 31 मार्च के लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार उनकी कुल आस्तियों के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

सममूल्य चेक सुविधा

रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि वे केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की गई 'सममूल्य' चेक सुविधा का उपयोग करें :

(i) स्वयं के प्रयोग के लिए;

(ii) अपने उन खाताधारकों के लिए जो 'अपने ग्राहक को जाने' (केवाईसी) का अनुपालन करते हैं बशर्ते 50,000 रुपए और उससे ऊपर सभी लेनदेन पूरी तरह ग्राहक के खाते में नामे डालते हुए किए जाएं; और

(iii) अकस्मात ग्राहकों के लिए प्रति व्यक्ति 50,000.00 रुपए से कम की नकदी के बदले।

उपर्युक्त तरीके से 'सम मूल्य' चेक सुविधा का उपयोग करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को निम्नलिखित को बनाए रखना होगा-

(ए) अन्य बातों के साथ-साथ आवेदक का नाम और खाता संख्या, लाभार्थी के ब्यौरे और 'सम मूल्य' चेक के निर्गम के तारीख को शामिल करते हुए 'सम मूल्य' चेक के निर्गम से संबंधित दस्तावेज।

(बी) ऐसे लिखतों के भुगतान के प्रयोजन हेतु ऐसी सुविधा प्रदान करने वाले वाणिज्यिक बैंकों के साथ पर्याप्त शेष/आहरण व्यवस्था।

शहरी सहकारी बैंकों यह भी सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा जारी किए गए 'सम मूल्य' चेक शामिल राशि के निरपेक्ष 'आदाता खाता' रेखांकित हैं।

शहरी सहकारी बैंकों को पुनः यह सूचित किया गया है कि वे अपने ग्राहकों के लिए एनईएफटी अथवा आरटीजीएस जैसे प्रेषण के और सक्षम साधनों का उपयोग सीधे ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराते हुए अथवा ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले बैंकों का उप सदस्य बनकर करें।

फेमा

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंकों द्वारा समुद्रपारीय निधियां प्राप्त करने हेतु अधिक लचीलापन उपलब्ध कराने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि अबसे प्राधिकृत व्यापारी भारत से बाहर अपने प्रधान कार्यालयों अथवा समुद्रपारीय शाखाओं अथवा प्रतिनिधियों अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य संस्था से शर्तों के अधीन अपनी अक्षत टीयर I पूंजी के सौ प्रतिशत अथवा 10 मिलियन अमरीकी डॉलर तक, जो भी अधिक हो उधार ले सकते हैं।

तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंकों को अनुमति दी गई कि वे 30 नवंबर 2013 तक की सीमित अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय/बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से उधार प्राप्त करें। ऐसे उधार निर्धारित शर्तों के अधीन सामान्य बैंकिंग कारोबारी प्रयोजनों के लिए होंगे, पूंजी संवृद्धि के लिए नहीं।

भुगतान प्रणाली

कार्ड निवेदित लेनदेन

रिज़र्व बैंक ने पुनः यह कहा है कि 22 सितंबर 2011 के परिपत्र में यथावर्णित प्रौद्योगिकी मूलभूत सुविधा (प्रति टर्मिनल विशिष्ट कुंजी- यूकेपीटी अथवा प्रति लेनदेन व्यक्त विशिष्ट कुंजी- डीयूकेपीटी/ टर्मिनल लाइन इन्क्रिप्शन-टीएलई) को सुरक्षित करने के कार्य के लिए 30 सितंबर 2013 तक निर्धारित अंतिम अवधि के बाद और समय विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

प्रत्येक माह की 26 तारीख को प्रकाशित, प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्यदिवसों में मुंबई पत्रिका चैनल, सॉर्टिंग ऑफिस-में प्रेषित **Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14**

रिज़र्व बैंक ने 24 जून 2013 के अपने परिपत्र में यह उल्लेख किया था कि यदि कोई ग्राहक निर्धारित तारीख के बाद कार्ड के दरुपयोग की शिकायत करता है तो निर्गमकर्ता अथवा अर्जक जिसने समयावधि का पालन नहीं किया है, को हानि उठानी होगी। तदनुसार, अपेक्षाओं का पालन नहीं करने वाले बैंकों को अधिदेशित मानकों का पालन नहीं करने वाले पीओएस टर्मिनलों पर कार्डधारक द्वारा कार्ड के उपयोग पर हुई हानि, यदि है, की क्षतिपूर्ति करनी होगी।

रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि भारत में किसी धोखाधड़ी वाले पीओएस लेनदेन/लेनदेनों के लिए (जो 30 सितंबर 2013 के बाद घटित हुए हैं) किसी कार्डधारक द्वारा अपने कार्ड निर्गमकर्ता बैंक से संपर्क किए जाने पर निम्नलिखित कार्रवाई अधिदेशित की गई है:

(i) कार्डधारक द्वारा बैंक से संपर्क किए जाने की तारीख से 3 कार्यदिवसों के भीतर निर्गमकर्ता बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि क्या संबंधित पीओएस टर्मिनल जहां कथित लेनदेन हुआ है, यथा अधिदेशित टीएलई और यूकेपीटी/डीयूकेपीटी का अनुपालन करता है।

(ii) यदि यह पाया जाता है कि अधिदेश के अनुसार पीओस टर्मिनल अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो निर्गमकर्ता बैंक ग्राहक को 7 दिनों के भीतर विवादित राशि का भुगतान करेगा। ऐसा नहीं करने पर 8वें कार्यदिवस से उसे ₹ 100 प्रतिदिन क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।

(iii) निर्गमकर्ता बैंक ग्राहक को भुगतान की गई राशि का दावा उस संबंधित बैंक के पास करेगा जिसने प्रश्नाधीन पीओएस लेनदेन अर्जित किया है।

(iv) अर्जक बैंक को निर्गमकर्ता बैंक द्वारा भुगतान की गई राशि का भुगतान बिना किसी विलंब के निर्गमकर्ता बैंक द्वारा दावा प्रस्तुत करने के 3 कार्यदिवसों के भीतर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अपने पास अर्जक बैंक के खाते से निर्गमकर्ता बैंक को नामे डालते हुए क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य होगा।

अर्जक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे बैंक के मुख्य प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित/अनुमोदित टीएलई और यूकेपीटी/डीयूकेपीटी के संबंध में 30 सितंबर 2013 तक की अनुपालित स्थिति रिपोर्ट 07 अक्टूबर 2013 तक या उसके पहले भेज दें। इस संबंध में स्थिति को बोर्ड की अगली बैठक में भी रखा जाए और इसकी विधिवत अनुमोदित प्रति रिज़र्व बैंक को भेजी जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि वह उन बैंकों के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत दण्डात्मक प्रावधानों को लागू करने पर भी विचार करेगा जिन्होंने 30 सितंबर 2013 की समयावधि का पालन नहीं किया है।

मौद्रिक नीति 2013-14 की तिमाही के मध्य में समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 सितंबर 2013 को मौद्रिक नीति 2013-14 की तिमाही के मध्य में समीक्षा घोषित की। वर्तमान और उभरती हुई समष्टि आर्थिक स्थितियों के आकलन के आधार पर निम्नलिखित मौद्रिक और चलनिधि उपाय घोषित किए गए:

- सीमांत स्थायी सुविधा दर में 20 सितंबर 2013 से 75 आधार अंकों की कमी करते हुए इसे 10.25 प्रतिशत से 9.5 प्रतिशत किया गया।
- नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बनाए रखने की न्यूनतम दैनिक अपेक्षा को 21 सितंबर 2013 को शुरु होने वाले पखवाड़े से 99 प्रतिशत से घटाकर 95 प्रतिशत किया गया जबकि आरक्षित नकदी निधि अनुपात में बिना कोई परिवर्तन किए इसे 4.0 प्रतिशत रखा गया।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी करते हुए 20 सितंबर 2013 से इसे 7.25 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत किया गया।

इसके परिणामस्वरूप चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत 20 सितंबर 2013 से प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 6.5 प्रतिशत पर समायोजित हो गई तथा बैंक दर कम होकर 9.5 प्रतिशत हो गई।

सूचना

नई तत्काल सकल भुगतान प्रणाली की शुरूआत

डॉ. रघुराम राजन, गवर्नर भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 अक्टूबर 2013 को भारतीय रिज़र्व बैंक की नई तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) प्रणाली की शुरूआत की।

ज्ञात रूप से आईएसओ 20022 संदेश मानकों पर निर्मित की जाने वाली विश्व की यह पहली नई आरटीजीएस प्रणाली अत्यंत उन्नतशील है और इसमें कई नई कार्यप्रणालियां होंगी। इनमें ग्रिडलॉक समाधान व्यवस्था तथा मिश्रित निपटान सुविधा सहित उन्नत चलनिधि विशेषताएं, भविष्य के मूल्य दिनांकित लेनदेन स्वीकार करने की सुविधा, बहु-मुद्रा लेनदेन आदि को संसाधित करने के विकल्प शामिल हैं। ये कार्यप्रणालियां जब और जैसे उपयोग के लिए उपलब्ध होंगी उन्हें सहभागियों को अधिसूचित किया जाएगा।

नई आईएसओ 20022 अनुकूल तत्काल सकल भुगतान प्रणाली सहभागियों को तीन एक्सेस विकल्प-महत्वपूर्ण ग्राहक, वेब-एपीआई (इनफिनिट अथवा किसी अन्य अनुमोदित नेटवर्क के माध्यम से) तथा भुगतान प्रवर्तक माड्यूल उपलब्ध कराती है। सहभागी लेनदेन की मात्रा तथा मूलभूत सुविधा के निर्माण की लागत के आधार पर प्रणाली में सहभागिता के स्वरूप पर निर्णय ले सकते हैं।

नई तत्काल सकल भुगतान प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ विद्यमान सकल भुगतान प्रणाली का परिचालन बंद कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 'तत्काल सकल भुगतान प्रणाली विनियमावली 2013' तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (सदस्यता) व्यापार परिचालन दिशानिर्देश, 2004 तथा तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (सदस्यता) विनियमावली, 2004 के बदले लागू हो जाएगी।

तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस) भारी मूल्य निधि अंतरण प्रणाली है जिसे बैंक अपने खाते के साथ-साथ ग्राहकों के खाते के लिए अंतर-बैंक अंतरणों के निपटान के लिए उपयोग में लाते हैं। इसे पहली बार भारत में एक प्रमुख प्रौद्योगिकी आधारित इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली के रूप में संपूर्ण देश के भीतर मार्च 2004 में कार्यान्वित किया गया था। यह प्रणाली 'तत्काल' समय और सकल आधार पर ग्राहकों को अंतर बैंक भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। यह प्रणाली अन्य अनुषंगी भुगतान प्रणालियों से उत्पन्न बहु-पार्श्विक निवल निपटान बैच (एमएनएसबी) फाइलों के निपटान की भी सुविधा प्रदान करती है। तत्काल सकल निपटान भुगतान प्रणाली मूलभूत सुविधा भुगतान देयताओं के व्यवस्थित निपटान को सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण है।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।